

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2024**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0016**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

26/07/2024 16:56 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

24/07/2024

Date To (दिनांक तक):

25/07/2024

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 10:00

hrs

Time To (समय तक): 12:00

hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):****Date (दिनांक):**

25/07/2024

Time (समय): 16:37

hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011**Date and Time****(दिनांक और समय):**

26/07/2024 16:37

hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 110 Km **Beat No. (बीट सं.):**
(s)(b) **Address (पता):** फरैण कलां,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**(a) **Name (नाम):** पवन चहल(b) **Father's Name (पिताका नाम):** शमशेर सिंह

(c)

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1993

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	फरैण कलां, JIND, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	फरैण कलां, JIND, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416635200

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विजय पानू			1. जिला बागवानी अधिकारी जीन्द, JIND, HARYANA, INDIA
2	कुलवंत			1. कर्मचारी कार्यालय जिला बागवानी, JIND, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं पवन चहल पुत्र श्री शमशेर

सिंह गांव फरैण कलां जिला जीन्द का रहने वाला हूँ। मेरे पिता जी ने दिसम्बर 2022 में हमारे खेतों में पौली हाउस लगवाना शुरू किया था। जनवरी 2023 में मेरे पिताजी की पैरालाइज से मृत्यु हो गई। हमारा यह पौली हाउस वर्ष 2023 में तैयार हो गया था फिर मैंने जिला बागवानी कार्यालय में पौली हाउस पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मैं जिला बागवानी कार्यालय जीन्द में कर्मचारियों से मिला तो उन्होंने बतलाया कि अभी बजट नहीं है बजट आने के बाद आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जो दिनांक 24.07.24 को मेरे मोबाईल न0 94166-35200 पर मोबाईल न0 98120-00555 से फोन आया और उसने कहा कि मैं जिला बागवानी अधिकारी जीन्द बोल रहा हूँ। तु कल आकर मुझसे मिल मैं कल ही सब्सिडी के दस लाख ₹0 तेरे खाता में डाल दूंगा, फिर मैं दिनांक 25.07.24 को जिला बागवानी कार्यालय में आकर जिला बागवानी अधिकारी जीन्द विजय पानू से मिला तो उसके साथ मैं दो कर्मचारी और बैठे थे। जिला बागवानी अधिकारी जीन्द ने मुझसे कहा कि आपके पिता जी की मृत्यु हो चुकी है और सरकार मृत व्यक्ति के खाता में सब्सिडी की राशि नहीं डालती, अगर तुझे यह सब्सिडी के दस लाख चालीस हजार ₹0 खाता में डलवाने है तो उसमें से पांच लाख ₹0 बतौर रिश्तत हमें देने होंगे नहीं तो हम सब्सिडी के दस लाख चालीस हजार ₹0 नहीं डालेंगे और तुझे सब्सिडी का एक रूपया भी नहीं मिलेगा, फिर मैंने सोचा कि वैसे तो यह सब्सिडी के पैसे मेरे खाता में डालेंगे नहीं और मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे खाता में सब्सिडी के दस लाख चालीस हजार ₹0 डलवा दो मैं बैंक से निकालकर आपको पांच लाख ₹0 दे दूंगा। जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसे यह पैसे तेरे खाता में नहीं डालेंगे पहले तुझे गारंटी के तौर पर हमें पांच लाख ₹0 का चैक देना पड़ेगा। चैक लेने के बाद हम तेरे खाता में सब्सिडी डलवा देंगे। उसके बाद तु मुझे नगद पांच लाख ₹0 दे देना और अपना चैक ले जाना मैंने कहा की ठीक है फिर मैं अपने घर आ गया। जो कुछ समय बाद जो कर्मचारी जिला बागवानी अधिकारी जीन्द के साथ बैठा था वह सरकारी गाडी न0 HR-03GV-3855 व ड्राइवर को लेकर मेरे घर आ गया। जिसने कहा कि मेरा नाम कुलवंत है आप मुझे पांच लाख ₹0 का चैक दे दो जिस पर मैंने उसको खाली चैक दे दिया तो उसने अपने हाथ से चैक में पांच लाख ₹0 की राशि भर ली और उसने चैक पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए और उसने कहा कि शाम तक आपके खाता में दस लाख चालीस हजार रूपयें आ जाएंगे। आप पांच लाख ₹0 कल निकलवाकर ले आना मैं यह पांच लाख ₹0 आपके घर से ले जाऊंगा, उस समय मेरे ताऊ का लडका नरेश पुत्र कुलदीप सिंह भी वहीं मौजूद था। शाम को कुलवंत का मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि चैक करो आपके खाता में पैसे आ गए हैं। जिस पर मैंने मेरा खाता चैक किया तो यह सब्सिडी के दस लाख चालीस हजार ₹0 मेरे खाता में आ चुके थे। मैंने कुलवंत से कहा कि पैसे आ गए हैं तो कुलवंत ने कहा कि कल पैसे निकलवाकर मेरे पास फोन कर देना मैं आकर पैसे ले जाऊंगा। आज भी उनके बार-2 मेरे पास फोन आ रहे हैं मैं जिला बागवानी अधिकारी जीन्द व उनके कर्मचारियों को यह रिश्तत के पांच लाख ₹0 देना नहीं चाहता। अगर मैं उनको यह पांच लाख ₹0 नहीं दूंगा तो वह मेरा चैक वापिस नहीं देंगे। कृप्या करके इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए व मेरा चैक मुझे वापिस दिलवाया जाए। रिश्तत मांगने बारें हुई बातचीत की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है यह रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। प्रार्थी Sd/- Pawan Chahal पवन चहल पुत्र श्री शमशेर सिंह गांव फरैण कलां जिला जीन्द। Mob. No.94166-35200 Date 26.07.24

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 26-07-24 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द हूँ कि शिकायतकर्ता पवन चहल S/o श्री शमशेर सिंह R/o फरैण ने हाजिर कार्यालय आकर एक टाईपशुदा दरखास्त बरखिलाफ विजय पानू जिला बागवानी अधिकारी जीन्द व कुलवंत कर्मचारी कार्यालय जिला बागवानी जीन्द बाबत मांगने रिश्तत मन निरीक्षक को पेश की जिस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों से बजरीया टेलीफोन सम्पर्क करके हालात रेड बताए।

जिस पर उच्चाधिकारियों ने तुरन्त उचित कार्यवाही अमल में लाई जाने बारे कहा मन निरीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह नियुक्त करने हेतु आग्रह करने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0) करनाल मण्डल, करनाल ने डा0 राजेश बुरा एसोसिएट प्रोफेसर PIG Govt College Jind को रेड की कार्यवाही के लिए बतौर स्वतन्त्र गवाह नियुक्त किया है और आदेशों को व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे पास भेजा जिसका प्रिन्ट निकालकर रखा गया और डा0 राजेश बुरा को बजरीया टेलीफोन कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जीन्द पहुंचने बारें सूचित किया गया।

दरखास्त मजबुन से सरेदस्त सुरत जुर्म 7,7A PC Act 1988 व 61 BNS 2023 का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त

सि0 कुलदीप सिंह न0 1007 JIND के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल

मण्डल करनाल भेजी जा रही है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित करे। मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवायी जावे। तफतीशी बैग, लैपटाप, प्रिंटर हमरा है मन निरीक्षक दर इंतजार स्वतन्त्र गवाह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द हुं। अज:- कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द। Sd/- Dinesh Kumar निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द दि0 26-07-24 AT-12:15 PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी मुकदमा न0 16 दिनांक 26-07-2024 जेर धारा 7,7A PC Act 1988 व 61 BNS 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा Ct. कुलदीप सिंह 1007/JIND के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सचिन न0 228/RR, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Dinesh Rank (पद): I (Inspector)
Kumar
No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Narender

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant
of Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				Is pox pitted: Yes
2	Male	1976				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

